न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः—43/2024
जीसीएमएस नंबरः— 2024/136

प्रार्थीगणः—
1. उम्मेद सिंह गुर्जर पुत्र श्री अणदाराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
2. आदूराम पुत्र नरसिंगराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
3. प्रेमराम पुत्र नरसिंगराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
4. मदनलाल पुत्र नरसिंगराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
5. श्यामलाल पुत्र नरसिंगराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
6. खींयाराम पुत्र किशनाराम जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
7. नामरायण पुत्र किशनाराम, जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
8. रामचन्द्र पुत्र किशनाराम, जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।
9. तुलछाराम पुत्र किशनाराम, जाति गुर्जर निवासी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

—::आदेशः::—

उपस्थितिः— 1. श्री नवीन शर्मा व राजेश चौधरी अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से। दिनांकः—21-6-24
2. **तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से।**

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि सुखाराम व मगाराम के वारिसान् के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 463 रकबा 123 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 472 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 192 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बनाड तहसील व जिला जोधपुर मे आयी हुई थी। जिनमें सुखाराम जी के वारिसान् नरसिंह राम, श्रीराम, लादूराम, किशनाराम, मानाराम तथा गोपाराम थे जबकि मगाराम जी के वारिसान् अणदाराम तथा फताराम थे। उपरोक्त सभी सहखातेदार द्वारा सन् 1983 में उपरोक्त भूमियों का आपसी सहमति से आपस में बंटवाडा कर लिया गया, जिसके बाबत् नामान्तरकरण सं. 753 दिनांक 03.02.1983 को स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा आपस मे निम्नानुसार बंटवाडा किया गया थाः—

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा सं. 463 में हिस्सा	खसरा सं. 472 में हिस्सा
1	श्रीराम पुत्र सुखाराम	16 बीघा	8 बीघा
2	लादुराम पुत्र सुखाराम	—	30 बीघा 11 बिस्वा
3	मानाराम पुत्र सुखाराम	24 बीघा 11 बिस्वा	6 बीघा
4	गोपाराम पुत्र सुखाराम	24 बीघा 11 बिस्वा	6 बीघा
5	नरसिंहराम पुत्र सुखाराम	13 बीघा	3 बीघा
6	किशनाराम पुत्र सुखाराम	19 बीघा 11 बिस्वा	11 बीघा
7	अणदाराम पुत्र मगाराम	10 बीघा 06 बिस्वा	5 बीघा
8	फताराम पुत्र मगाराम	15 बीघा 06 बिस्वा	—
	कुल रकबा	123 बीघा 05 बिस्वा	69 बीघा 11 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

प्रार्थीगण के पूर्वज अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे। उनके द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे बंटवाडा हेतु कार्यवाही कर दी गई एवं मौके पर सभी खातेदार उपरोक्तानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये एवं वर्तमान में भी उनके वारिसान् इसी अनुरूप अपने अपने हिस्से की भूमियों उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी सं. 1 अणदाराम जी का पुत्र है जबकि प्रार्थी सं. 2 से 5 नरसिंगराम जी के तथा प्रार्थी सं. 6 से 9 किशनाराम जी के वारिसान् है। अणदाराम जी, नरसिंगराम जी तथा किशनाराम जी का देहान्त हो चुका है एवं उनके स्थान पर प्रार्थीगण उनके हिस्से की भूमियों पर उनके वारिसान् की हैसियत से काबिज है। अभी हाल ही मे प्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने खसरे की भूमि की जमाबन्दी प्राप्त की गई तब उसे जानकारी मे आया कि जिस समय नामान्तरकरण सं. 753 दर्ज किया गया था उस वक्त लिपिकिय त्रुटिवश प्रार्थी सं. 1 के पिता अणदाराम जी के हिस्से मे खसरा नं. 463/5 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि दर्ज है जबकि वास्तविकता मे मौके पर अणदाराम जी एवं प्रार्थी सं. 1 खसरा नं. 463/5 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा पर तथा खसरा नं. 472 की 5 बीघा भूमि पर काबिज है। इसके अलावा प्रार्थी सं. 2 से 5 के पिता नरसिंहराम जी के हिस्से में खसरा न. 463 मे 16 बीघा भूमि का इन्द्राज कर दिया गया एवं खसरा नं. 472 में कोई भूमि नहीं दी जाना उल्लेखित है जबकि वास्तविकता मे नरसिंहराम जी के हिस्से मे बंटवाडे अनुरूप खसरा नं. 463 में 13 बीघा भूमि रखी गयी थी एवं खसरा नं. 472 में 3 बीघा भूमि रखी गयी थी एवं उसी अनुरूप नरसिंहराम जी एवं प्रार्थीगण सं. 2 से 5 मौके पर काबिज भी है। इसी प्रकार किशनाराम जी के हिस्से मे खसरा नं. 463 में 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि का इन्द्राज कर दिया गया एवं खसरा नं. 472 मे 10 बीघा भूमि का इन्द्राज किया गया है जबकि वास्तविकता मे किशनाराम जी के हिस्से मे बंटवाडे अनुरूप खसरा नं. 463 मे 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं. 472 मे 11 बीघा भूमि रखी गयी थी एवं उसी अनुरूप किशनाराम जी एवं प्रार्थीगण सं. 6 से 9 मौके पर काबिज भी है। इस संबंध में उपरोक्त बंटवाडा नामान्तरकरण सं. 753 तथा इन खसरान् की जमाबन्दी का आपस में मिलान किये जाने पर प्रार्थीगण को यह जानकारी में आया कि खसरा नं. 463 रकबा 123 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा नं. 472 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा को सहखातेदार में विभक्त करते समय नामान्तरकरण सं. 753 मे त्रुटिपूर्ण अशुद्ध इन्द्राज कर दिये गये एवं उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात् के कारण खसरा नं. 463 का कुल रकबा 123 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर संयुक्त रूप से 132 बीघा 05 बिस्वा हो गया तथा खसरा नं. 472 का कुल रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर संयुक्त रूप से 60 बीघा 11 बिस्वा दर्ज कर दिया गया। अर्थात उक्त बंटवाडा में खसरा नं. 123 में 9 बीघा भूमि अधिक दर्ज कर दी गई जबकि खुसरा नं 69 मे 9 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी गई, जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है जिसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। नामान्तरकरण सं. 753 में निम्नानुसार त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कर दी गई है:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा सं. 463 में हिस्सा	खसरा सं. 472 में हिस्सा
1	श्रीराम पुत्र सुखाराम	16 बीघा	8 बीघा
2	लादुराम पुत्र सुखाराम	–	30 बीघा 11 बिस्वा
3	मानाराम पुत्र सुखाराम	24 बीघा 11 बिस्वा	6 बीघा
4	गोपाराम पुत्र सुखाराम	24 बीघा 11 बिस्वा	6 बीघा
5	**नरसिंहराम पुत्र सुखाराम**	**16 बीघा**	–
6	**किशनाराम पुत्र सुखाराम**	**20 बीघा 11 बिस्वा**	**10 बीघा**
7	**अणदाराम पुत्र मगाराम**	**15 बीघा 06 बिस्वा**	–
8	फताराम पुत्र मगाराम	15 बीघा 06 बिस्वा	–
	कुल रकबा	**123 बीघा 05 बिस्वा**	**69 बीघा 11 बिस्वा**

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य इस प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 मे वर्णितानुसार बंटवाडा हुआ था एवं उसी अनुरूप सभी खातेदारान् अपने अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज हुए थे एवं वर्तमान में भी उनके वारिसान् उसी अनुरूप काबिज है किन्तु

मात्र राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण सं. 753 मे लिपिकिय त्रुटिवश पद सं. 2 में वर्णितानुसार के स्थान पर पद सं. 4 मे वर्णितानुसार इन्द्राज कर दिया गया है जो कि मौके एवं राजस्व रेकर्ड से किसी भी प्रकार से मेल नही खाता है एवं ऐसे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की वजह से प्रार्थीगण को अपनी अपनी भूमियो का उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है। खातेदार श्रीराम, लादुराम, मानाराम, गोपाराम तथा फताराम के बाबत् नामान्तरकण सं. 753 मे सही इन्द्राज किये गये है जिस अनुरूप ही उक्त सभी खातेदारान् के वारिसान् वर्तमान में अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं राजस्व रेकर्ड में भी उसी अनुरूप इनके नाम का इन्द्राज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त खातेदारान् के के संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं चाही गयी है। उक्त नामान्तरकरण स. 753 में मात्र प्रार्थीगण के पूर्वज अणदाराम, नरसिंहराम तथा किशनाराम के हिस्से के बाबत् ही त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया है। जिस त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थीगण के पास यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र उपरोक्त इन्द्रजात् को शुद्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त अशुद्धि मे प्रार्थीगण के हिस्से में किसी प्रकार की कोई बढोतरी नहीं हो रही है एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों के हिस्से में रखे गये रकबे अनुरूप ही प्रार्थीगण के हिस्से में भूमि रहेगी, मात्र खसरा नं. 463 में जो ज्यादा भूमि दर्शा दी गई है एवं खसरा नं. 472 में कम भूमि दर्शा दी गई है, उसे शुद्ध करते हुए खसरा नं. 463 में से भूमि कम करते हुए उसका खसरा नं. 472 में इन्द्राज करना है जिससे दोनों खसरान् का कुल रकबा बरवक्त बंटवाडे से पूर्व के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सही हो जाये एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड में समानता हो जाये जिससे प्रार्थीगण अपनी अपनी भूमियो का सही ढंग से उपयोग–उपभोग कर सके। ऐसी शुद्धि से किसी भी खातेदार के किसी भी हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड रहा है। अतः ग्राम बनाड के मूल खसरा नं. 463 रकबा 123 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा नं. 472 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा के बाबत् खातेदारान् के मध्य हुए बंटवाडे के बाबत् दिनांक 03.02. 1983 को अशुद्ध रूप से दर्ज किये गये नामान्तरकरण सं. 753 की प्रविष्टि को शुद्ध करते हुए प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 मे वर्णितानुसार वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 463 रकबा 123.05 बीघा व खसरा नम्बर 472 रकबा 69.11 बीघा पूर्व में नरसिंहराम पुत्र सुखाराम 1/7, श्रीराम पुत्र सुखाराम 1/7, लादुराम पुत्र सुखाराम 1/7, किशना राम पुत्र सुखाराम 1/7, मानाराम पुत्र सुखा राम 1/7, गोपाराम पुत्र सुखाराम 1/7, (अणदाराम 1/2, फताराम 1/2 पुत्र मगाराम 1/7) जाति गुर्जर के नाम दर्ज थे । उक्त खातेदारों द्वारा नामान्तरण संख्या 753 द्वारा बटवारा किया गया, जिसमें 1. नरसिंह राम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 463 16.00 बीघा 2. श्रीराम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 16.00 बीघा खसरा 472 नम्बर रकबा 08.00 बीघा, 3. लादुराम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 472 रकबा 30.11 बीघा, 4. किशना राम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 20.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 10.00 बीघा 5. माना राम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 24.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 6.00 बीघा 6. गोपाराम पुत्र सुखाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 24.11 एवं खसरा नम्बर 476 रकबा 6.00 बीघा 7. अणदा राम पुत्र मगाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 15. 06 बीघा एवं 8. फताराम पुत्र मगाराम खसरा नम्बर 463 रकबा 15.06 बीघा रकबा उक्त बटवाडे में दर्ज हैं । नामान्तरण संख्या 753 द्वारा बटवारा में खसरा नम्बर 463 के सभी बट्टा नम्बर/खातेदारों के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 132.05 बीघा व खसरा नम्बर 472 के सभी बट्टा/खातेदारों के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 60.00 बीघा 11 बिस्वा होता हैं व वर्तमान जमाबन्दी में भी उक्त खसरा नम्बर 463 व 472 के सभी बट्टा नम्बर का योग करने पर 132.05 बीघा व 60.11 बीघा बनता हैं। जबकि नामान्तरण संख्या 753 बटवारे के नामांन्तरण के कॉलम संख्या 6 (खेत का क्षे० व भूमि का विवरण) में खसरा नम्बर 463 का रकबा 123.05 बीघा 472 का रकबा 69.11 बीघा बटवाड़े से पूर्व में दर्ज था, जबकि बटंवाड़े

के नामान्तरण के बाद खसरा नम्बर 463 का कुल रकबा 123.05 के स्थान पर 132.05 बीघा व खसरा नम्बर 472 का कुल रकबा 69.11 बीघा के स्थान पर 60.11 बीघा दर्ज कर दिया गया । खसरा नम्बर 463 रकबा 123.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 69.11 बिघा दोनों खसरा का कुल योग 192–16 बीघा बटवाड़े से पूर्व में दर्ज था, व बटंवाड़ा (नामान्तरण संख्या 753) के बाद खसरा नम्बर 463 रकबा 132.05 व 472 रकबा 60.11 बीघा कुल करबा 192–16 दर्ज कर दिया गया । खसरा नम्बर 463 रकबा 123.05 बीघा के स्थान पर 132.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 472 में रकबा 69.11 के स्थान पर 60.11 बीघा बटवाड़े के समय 09 बीघा रकबा खसरा नम्बर मे अत्यधिक व खसरा नम्बर 472 में 9.00 बीघा रकबा कम दर्ज किया गया ।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि नामा. सं. 753 द्वारा बंटवाडा में खसरा सं. 463 के सभी बट्टा नंबर/खातेदारों के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 132.05 बीघा एवं खसरा सं. 472 के सभी बट्टा/खातेदारों के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 60 बीघा 11 बिस्वा होता है व वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त खसरा सं. 463 व 472 के सभी बट्टा नंबर का योग करने पर 132.05 बीघा व 60.11 बीघा बनता है जबकि नामा. सं. 753 बंटवाडे के नामा. के कॉलम सं. 6 में खसरा सं. 463 का रकबा 123.05 बीघा 472 का रकबा 69.11 बीघा बंटवाडे से पूर्व दर्ज था, जबकि बंटवाडे के नामा. के बाद खसरा सं. 463 का कुल रकबा 123.05 के स्थान पर 132.05 बीघा व खसरा सं. 472 का कुल रकबा 69.11 बीघा के स्थान पर 60.11 बीघा दर्ज कर दिया गया। ग्राम बनाड़ के मूल खसरा सं. 463 रकबा 123 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा सं. 472 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा के बाबत् खातेदारान् के मध्य हुए बंटवाडे के बाबत् दिनांक 03.02.1983 को अशुद्ध रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित प्रार्थीगणों के पूर्वजों द्वारा किए गए बंटवाडे अनुसार उक्त राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अशुद्धि को राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार शुद्ध करते हुए खातेदार नरसिंहराम पुत्र सुखाराम के वारिसान आदूराम वगैरा. को खसरा सं. 463 में 13 बीघा भूमि खसरा सं. 472 में 03 बीघा, खातेदार किशनाराम पुत्र सुखाराम के वारिसान खींयाराम वगै. को खसरा सं. 463 में 19 बीघा 11 बिस्वा खसरा सं. 472 में 11 बीघा एवं खातेदार अणदाराम पुत्र मगाराम के वारिसान् उम्मेदसिंह को खसरा सं. 463 में 10 बीघा 06 बिस्वा खसरा सं. 472 में 5 बीघा राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अंकन किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 21/6/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर